रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224004
CG-DL-E-30122020-224004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4161] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942
No. 4161] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/ PAUSHA 8, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4745(अ).—17.08.2006 को अधिसूचित और 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से सीईए में उनके कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यधीन सीईएके लिए वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती हैः

क्रम सं.	नाम (श्री)	पदनाम	तैनाती का स्थान	के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित
1.	श्री सुभ्रो पॉल	निदेशक	आरआईओ (ई)	वैद्युत निरीक्षक
2.	श्री बित्रा वेंकट संदीप	उप निदेशक	आरआईओ (डब्ल्यू)	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सीईए के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपर्युक्त अधिकारी किसी वैद्युत कार्य अथवा संस्थापना, जिनका निष्पादन अथवा रख-रखाव उनका दायित्व है, के संबंध मेंअपनेसंबंधित पदपर वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

S.O. 4745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Central Electricity Authority as Electrical Inspector for CEA, from the date of this Notification till their tenure in CEA or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the qualification and Condition mentioned in the said Rules.

Sl./No.	Name (Shri)	Designation	Place of Posting	Proposed to be appointed as
1	Shri Subhro Paul	Director	RIO (E)	Electrical Inspector
2	Shri Bitra Venkata Sandeep	Deputy Director	RIO (W)	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of CEA, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officers do not function as the Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is their responsibility.

The officers appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2016-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM